न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 50 / 2021

अपीलांट्स –

ललसिंह पुत्र मंगलसिंह जाति राजपूत निवासी हापों की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर के विधिक वारिसान

1. धनसिंह पुत्र लालसिंह
2. केसरसिंह पुत्र लालसिंह

जातियान राजपूत निवासियान हापों की ढाणी पटवार हल्का चूली तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स–

1. गुमानसिंह पुत्र मंगलसिंह
2. भूरसिंह पुत्र मंगलसिंह
3. कंवरा कंवर पत्नी लालसिंह
4. नरपतसिंह पुत्र लालसिंह
5. दरिया कंवर पत्नी मगसिंह
6. राजेन्द्रसिंह पुत्र मगसिंह
7. हर्षिता कंवर पुत्री मगसिंह

   रेस्पोडेंट संख्या 6 व 7 नाबालिग जरिये माता दरिया कंवर जातियान राजपूत निवासियान हापों की ढाणी पटवार हल्का चूली तहसील व जिला बाड़मेर
8. तहसीलदार बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 164 दिनांक 07.11.2007 जो तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री सुनील के मेराजा, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री नृसिंह सोलंकी, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1, 2 व 4 की ओर से उपस्थित।
3. अवशेष रेस्पोडेंट्स बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित।
4. रेस्पोडेंट सं. 8 प्रफॉर्मा पक्षकार।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

निर्णय

दिनांक : 15.11.2022

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:37:01 IST
Reason: SelfAttested

1. अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत ग्राम हापों की ढाणी तहसील बाड़मेर के नामान्तरकरण सं. 164 पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित स्वीकृति दिनांक 07.11.2007 के विरूद्ध दिनांक 27.12.2021 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा हापों की ढाणी तहसील बाड़मेर के खसरा नंबर 100, 68, 69, 74, 75, 164/79, 76, 85, 101 एवं 103 कुल रकबा 184–25 बीघा भूमि खातेदारान गुमानसिंह पुत्र भूरसिंह पि0 मंगलसिंह 2/3 लालसिंह वल्द मंगलसिंह 7/24 केसरसिंह वल्द लालसिंह वल्द मंगलसिंह 1/24 केसर सिंह वल्द लालसिंह 1/24 कौम राजपूत सा0 देह खातेदार के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त सह खातेदारान द्वारा प्रस्तुत सहमति विभाजन पर तहसीलदार बाड़मेर के आदेश दिनांक 19.08.2006 द्वारा पारित स्वीकृति के अनुसरण में हलका पटवारी चूली द्वारा नामान्तरकरण सं. 164 दायर कर तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.11.2007 द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है। उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.12.2021 को प्रस्तुत की गई है। इस अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन किया है।

3. अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट्स के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि मौजा हापों की ढाणी तहसील बाड़मेर के खसरा नंबर 100, 68, 69, 74, 75, 164/79, 76, 85, 101 एवं 103 कुल रकबा 184–25 बीघा भूमि खातेदारान गुमानसिंह पुत्र भूरसिंह पि0 मंगलसिंह 2/3 लालसिंह वल्द मंगलसिंह 7/24 केसरसिंह वल्द लालसिंह वल्द मंगलसिंह 1/24 केसर सिंह वल्द लालसिंह 1/24 कौम राजपूत सा0 देह खातेदार के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त सह

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:37:01 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

खातेदार लालसिंह पुत्र मंगलसिंह का देहान्त वर्ष 2007 को हो गया। खातेदार लालसिंह पुत्र मंगलसिंह के फौत होने पर हलका पटवारी चूली द्वारा नामान्तरकरण सं. 164 में सहमति बंटवाडे के विपरीत तरमीनी नक्शा तैयार किया जो कि मौके पर अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स के कब्जा–काश्त अनुसार नहीं है। रेस्पोडेंट्स होशियार एवं चालाक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं जिन्होंने पूर्व सहति बंटवाडे के विपरीत राजस्व अधिकारियों के साथ सांठ–गांठ कर अपीलाधीन भूमि पर मौके पर कब्जा–काश्त के प्रतिकूल छिपे तौर पर गलत बंटवाडा करवाया है। अपीलाधीन नामान्तरकरण के गलत होने के कारण रेस्पोडेंट गुमानसिंह की रहवासीय ढाणी अपीलांट्स के हक–हिस्से मे आ रही है जिससे अपीलांट्स को भारी परेशानी हो रही है और मौके पर हमेशा झगड़े की स्थिति उत्पन्न होने की पूर्ण संभावना रहती है। राजस्व रेकर्ड के अनुसार लालसिंह के नाम की भूमि में से रेस्पोडेंट्स को दी जाने वाली भूमि में पटवारी एवं राजस्व अधिकारियों ने अपने अधिकारों का दुरूपयोग करते हुए सहमति विभाजन से परे जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित किया है। साथ ही अधिवक्ता अपीलांट्स ने यह भी निवेदन किया कि भू–अभिलेख निरीक्षक बिशाला ने अपीलाधीन नामान्तरकरण की जांच के समय दिनांक 30.11.2006 को बंटवाडा आदेश व नामान्तरकरण में कई अन्तर एवं कमियां होना पाया था। इस क्रम में पूर्व तहसीलदार द्वारा आपीलाधीन नामान्तरकरण आदेश एवं मौका जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश अंकित करते हुए लौटा दिया था जिसे बाद में तत्कालीन तहसीलदार द्वारा बिना कोई जांच किये स्वीकृत किया गया जो न्यायोचित नहीं है। अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित करने में पक्षकारान के मध्य पारस्परिक सहमति की अनदेखी कर [illegible] अपने अधिकार एवं शक्तियों से परे जाकर पारित किया गया है। लिहाजा उक्त नामान्तरकरण विधि एवं नियमों के अनुसार कायम रखे जाने योग्य नहीं होने से खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:37:01 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

5. अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा यह भी प्रकट किया गया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित करते समय अपीलांट्स को सुनवाई का कोई अवसर एवं सूचना नहीं दी गई है और अपीलांट्स विवादित आराजी पर भौतिक रूप से अपने पूर्व कब्जे–काश्त अनुसार लगातार काबिज हैं। अरसा 6 माह पूर्व जब रेस्पोडेंट्स द्वारा अपीलांट्स के कब्जे में हस्तक्षेप कर अपना कब्जा करने को प्रयासरत हुए एवं राजस्व रेकर्ड में बंटवाडे से भिन्न तरमीम होने के तथ्य बताये तब ही अपीलांट्स को अपीलाधीन नामान्तरकरण के बंटवाडा आदेश 19.08.2006 के अनुरूप नहीं भरे जाने की सर्वप्रथम जानकारी हुई। इस पर उक्त नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति एवं बंटवाडे की नकलें प्राप्त होने पर सम्यक तत्परता से यह अपील प्रस्तुत की है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को सद्भाविक मानते हुए धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर प्रस्तुत अपील अन्दर मयाद शुमार किये जाने का निवेदन भी किया है।

6. रेस्पोडेंट संख्या 1, 2 व 4 की ओर से अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलाधीन भूमि के सहखातेदारान लालसिंह व अन्य ने संयुक्त रूप से अपनी कृषि जोत भूमि का सहमति स्वरूप विभाजन हेतु प्रार्थना–पत्र तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष पेश किया जिस पर तहसीलदार द्वारा सभी पक्षकारान की उपस्थिति में एक स्वर में मौके पर काबिज हैं उसी स्थिति में विभाजन किये जाने की सहमति प्रदान की गई थी। उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के अनुसरण में अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित होकर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर दिये गये हैं। इस प्रकार अपीलांट्स द्वारा लगभग 14 वर्ष बाद उक्त अपील प्रस्तुत की गई है जो न्यायिक सिद्धान्तों के अनुसार मयाद बाहर होने से चलने योग्य नहीं है। वि[illegible] स्पष्ट सिद्धान्तों के अनुसार कोई पक्षकार मयाद के [illegible] नहीं करता है तो परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का लाभ [illegible] से पूर्व न्यायालय को पक्षकार द्वारा विलम्ब के ठोस कारण प्रस्तुत करते हुए समाधान कराना अतिआवश्यक

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:37:01 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Lok
जिला कलक्टर
बाड़मेर

है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट्स द्वारा 14 वर्ष के विलम्ब का कोई तर्क संगत कारण प्रकट नहीं किया है। लिहाजा अपीलांट्स की यह अपील मयाद बाहर होने से खारिज योग्य है।

7. हमने अधिवक्ता अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट संख्या 1, 2 व 4 के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता हैं कि मौजा हापों की ढाणी तहसील बाड़मेर के खसरा नंबर 100, 68, 69, 74, 75, 164 / 79, 76, 85, 101 एवं 103 कुल रकबा 184–25 बीघा भूमि खातेदारान गुमानसिंह पुत्र भूरसिंह पि0 मंगलसिंह 2 / 3 लालसिंह वल्द मंगलसिंह 7 / 24 केसरसिंह वल्द लालसिंह वल्द मंगलसिंह 1 / 24 केसर सिंह वल्द लालसिंह 1 / 24 कौम राजपूत सा0 देह खातेदार के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त सह खातेदारान द्वारा प्रस्तुत सहमति विभाजन पर तहसीलदार बाड़मेर के आदेश दिनांक 19.08.2006 द्वारा पारित स्वीकृति के अनुसरण में हलका पटवारी चूली द्वारा नामान्तरकरण सं. 164 दायर कर तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.11.2007 द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है। उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.12.2021 को प्रस्तुत की गई है। इस अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन किया है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के संबध में अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा प्रकट किया है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित करते समय अपीलांट्स को कोई सूचना नहीं दी गई इसलिये अपीलांट्स को पारित नामान्तरकरण की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। अपीलांट्स की ओर से यह अपील करीब 14 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत की गई है जिसके संबंध में अपीलांट्स द्वारा कोई ठोस एवं तर्कसंगत कारण प्रकट नहीं किया गया है जबकि परिसीमा विधि के अनुसार विलम्ब के प्रत्येक दिन का

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:37:01 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Lok
जिला कलक्टर
बाड़मेर

स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक है। अपीलांट्स के अधिवक्ता की ओर से प्रकट किया गया है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृति करने से पूर्व अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया इसलिये जानकारी नहीं हुई, यह कथन कतई मानने योग्य नहीं है। इन परिस्थितियों को देखते हुए यह प्रतीत होता हैं कि अपीलांट्स की ओर से यह अपील मयाद बाहर प्रस्तुत की गई है जो खारिज योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह मयाद बाहर होने से खारिज की जाती है।

9. निर्णय आज दिनांक 15.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:37:01 IST
Reason: SelfAttested